

C.F-16-7-14

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के समक्ष

16.6.14

R-2010-PBR/14

पुनरीक्षण प्र.क्र. /2014

- (1) रामा पिता हीराजी मुलेवा आयु 75 वर्ष  
धंधा काश्त निवासी ग्राम सुरपाला  
तहसील गोगावां जिला खरगोन
- (2) पप्पु पिता नारायण दत्तक पिता रामाजी मुलेवा  
आयु 25 वर्ष धंधा काश्त निवासी ग्राम सुरपाला  
तहसील गोगावां जिला खरगोन

— आवेदकगण

विरुद्ध

- (1) देवेन्द्र पिता लक्ष्मण सारवा आयु 28 वर्ष  
निवासी बालकुआं तहसील व जिला बड़वानी

— अनावेदक

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भूराजस्व संहिता ।

इसमें आवेदकगण श्रीमान तहसीलदार तहसील गोगावां  
इन्होंने रा.प्र.क्र 4/अ-10/2013-14 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 30/5/2014  
जिसमें उन्होंने अन्तर्गत धारा 250(3) भूराजस्व संहिता अन्तरिम आदेश पारित कर कृषि  
भूमि का आधिपत्य अवैधानिक रूप से अनावेदक को दिलाया होने से व्यथित होकर यह  
पुनरीक्षण याचिका अन्य कारणों के साथ साथ निम्न कारणों से प्रस्तुत करते हैं:-


यह पुनरीक्षण याचिका नियत समयावधि में नियत न्यायशुल्क  
पर प्रस्तुत की गई है।

अधिनस्थ न्यायालय के विवादित आदेश दिनांक  
30/5/2014 की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न प्रस्तुत है।

श्री कुलदीप पाठक  
अभिभाषक इश आज  
दिनांक 17-6-14 को  
इ-श्री वेब पर प्रस्तुत!

G.M.  
17-6-14

17-6-14

थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
<p>16.7.2014</p>	<p>आवेदकगण की वार में सूचना आरोप कोई भी उपलब्ध नहीं। वीर वार पुकार उजवाई गई। फिर भी कोई उपलब्ध नहीं। अंतिम पकान आम में से निरस्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">             आदेश         </p>	